न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 373 / 2025

श्री राधेश्याम सैनी पुत्र श्री गणपत सिंह सैनी, पता पंचमुखी बालाजी के पास, वार्ड नं0 55, झुंझुनूं, (राज0), पिन कोड 9785403276

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 29.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 373 / 2025 पर दिनांक 09.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 4169–70 दिनांक 09.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2025 / 1235 दिनांक 17.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2025 / 1172 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक आर0टी0आई0 / 2025 / 1235 दिनांक 17.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2025 / 1172 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं